झारखण्ड
JSPCB

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्
JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD
T.A. DIVISION BUILDING (GROUND FLOOR), H.E.C., DHURWA, RANCHI -834004
Phone.. 0651-2400852/2400851/2400850(Fax). Web site : www.jspcb.org

पत्रांक :..................   रॉची, दिनांकः ....

सूचना

सभी सम्बन्धित औद्योगिक इकाईयों को सूचित किया जाता है कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धाराएँ क्रमशः 25 (7) एवं 21 (4) के आलोक में संचालन सहमति आदेश (CTO) हेतु अपना आवेदन पूर्व प्रदत्त संचालन सहमति आदेश (CTO) की समाप्ति अवधि/उत्पादन प्रारम्भ करने की सम्भावित तिथि के चार माह पूर्व पर्षद् को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें जिससे कि निर्धारित समयसीमा में संचालन सहमति आदेश प्रदान किया जा सके।

अगर संचालन सहमति आदेश (CTO) हेतु आवेदन पर्षद् को विलम्ब से उपलब्ध कराये जाने के कारण पर्षद् द्वारा निर्धारित कालावधि में संचालन सहमति आदेश (CTO) निर्गत नहीं हो पाता है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी सम्बन्धित औद्योगिक इकाई की होगी।

वैध संचालन सहमति आदेश (CTO) के बिना यदि इकाई संचालित की जाती है तो यह नियम विरूद्ध होगा एवं इसके लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की सुसंगत धाराओं के तहत् आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

(signature) 8/12/15

(संजय कुमार सुमन)
सदस्य सचिव

Chandan/General Letter-JSR/381